कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ। पत्रांक- 840 / 11-सी- FP/UP/Approach/155172//2022 , लखनऊ, दिनांकः सितम्बर 26,2023

सेवा में

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र), केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

जनपद फर्र्सखाबाद के अन्तर्गत बीसलपुर—बेवर मार्ग (एन०एच०—730सी) पुराना एस०एच०—29ए के किमी० स्टोन नम्बर 571.00 चैनेज 570.349 बांयी पटरी पर ग्राम—मदनपुर खसरा संख्या—2629 तहसील—सदर जिला—फर्रूखाबाद में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 आगरा द्वारा प्रस्तावित नये पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.1690612 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 03 वृक्षों के पातन / ट्रान्सप्लांट की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या— FP/UP/Approach/155172//2022

भारत सरकार का पत्रांक—8बी0 / यू०पी0 / 06 / 64 / 2023 / एफ0सी0 / 81, दिनांक—02.05.2023 सन्दर्भः महोदय.

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर ने अपने पत्रांक—747 / 14—1 दिनांक 22.09.2023 द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर . अपलोड किया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड–हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई—चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि अपलोड है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा

भवदीय

(अनुपंम गुप्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन सरंक्षक / नोडल अधिकारी, 🗷 🗷 ७४०, लखनऊ।

संख्या— २५० /11-सी FP/UP/Approach/155172//2022 दिनांकित। प्रतिलिपि:— निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर।

2— प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, फर्रुखाबाद।

3— मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 85/4 इस्पात भवन तृतीय तल संजय प्लेस,

(अनुपम गुप्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन सरक्षक / नोडल अधिकारी,

संख्या— 🛇 Ч० / 11-सी FP/UP/Approach/155172//2022 , दिनांकित। 🕼 उ०प्र०, लखनऊ। प्रतिलिपि:— अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग—2, लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

W

(अनुपम गुप्ता) अपर प्रधान मुख्य वन सरक्षक / नोडल अधिकारी, n ₹0प्र0, लखनऊ।

	· 164 ,	
4		

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर पत्रांक ७४ / १४–१ दिनांक कानपुर, सितम्बर, १३ 2023

सेवा में.

अपर प्रधान मुख्य वन तंरक्षक / नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ,

विषय:-

जनपद फर्रूखावाद के अन्तर्गत बीसलपुर-बेवर मार्ग (एन०एच०-730सी) Old SH-29A के किमी० नम्बर-571.00 चैनेज 570.349 बांयी पटरी पर ग्राम-मदनपुर खसरा संख्या-2629 तहसील-सदर, जिला-कर्रूखाबाद हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोशन लि० आगरा द्वारा प्रस्तावित नये पेट्रोल पम्प के सन्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.1690612 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 03 वृनों के पातन/ट्रासप्लाट की अनुमित सम्बन्धी प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

संदर्भ-

,आपका पत्रांक-11सी-3711/FP/UP/Approach/155172/2022 दिनांक 31.07.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र क अनुपालन में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग फर्रूखाबाद ने अपने पत्रांक 516/14-1 दिनांक 14/39.2023 से भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय अलीगंज लखनऊ की पत्र संख्या-08 वी/यू0पी0/06/64/2023/एफ0.सी0/239 दिनांक 27.07.203 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या समस्त अभिलेखों सहित इस कार्यालय को उपलब्ध करायी है। उक्त बिन्दुवार अनुपालन अख्या निर्धारित प्रारूप में समस्त अभिलेखों सहित संलग्न कर आपको स्चार्मार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेशित है-

S.	Condition	Compliance
N. 1.	The Legal Status of the Forest land Shall remain unchanged.	शर्त संख्या–1 के अनुपालन में वयनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न का प्रेषित है। (संलग्नक–1)
2.	Compe Compensatory afforestation shall be taken up by the forest Department for Plantation of 338 trees in (sakwai Forest block farrukhabad range, Disrict-Farrukhabad Block at the cost of the user Agency, As far as practicable a Mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of Species has be avoided, of as as practicable a Mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of Species has to be avoided.	शतं संद्या—2 के अनुपालन में अतिपूरक वृक्षाशेषण एवं 10 वर्ष के रखरखाव हेनु रूठ, 149,650 / — की धनराशि को Forest Clearence Portal द्वारा निर्मतं चालान के मध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA] IFSCUBIN0996335] A/C NO- 1509070195172188 में जाना चर विधा गया है। जिसकी चालान एवं पेमेण्ट हिस्ट्री संलग्न है। (संजानक—02 एवं 03)
3.	The cost of compensatory afforestation at the Prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of Survey, demarcation and erection of permanent pillars if require i on the CA land shall be deposited in advance with the forest department by the project authority. The CA will be maintained for 10 yrs. The Scheme may include appropriate Provision for anticipated cost increase for works Scheduled for Subsequent Years.	शतं संख्या—3 के अनुपालन में अतिपूरक वृक्षारोपण एर 10 वर्ष के रखरखाब हेतु रुठा 49,650 / — की धनरारि को Forest Clearence Portal द्वारा निर्मत सालाम के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA] IFSC UBIN0996335] A/C NO- 1509070155172188 में जमा कर दिया गया है। जिसकी चालान एवं पेमेण्ट हिस्ट्री संलग्न है। (संलग्नक–2 एवं 03)
4.	The State Government shall Charge the set Present Value for the 0.1690612 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA NO. 566 in WPO No. 202/1995 and as per the guideline issued by the ministry vide letters no. 5-1/1998-FC (Pt.11) dated 18/09/2003, as well as letter 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard. Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06.01/2002 and 19.01.2022 shall be deposited by user in this regard.	शतं सन्द्र्या—4 के अनुवालन में प्रभावित यन पृथि 0.1693012 हे॰ की एम-पी॰वी॰ ए॰ 1.01.624 / - ली धमराधि को Forest& Clearence Portal हाए निगंत चालान के पाध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA] IFSC UBIN0996335] A/C NO- 169370155172188 में जमा कर दिया गया है। जिसकी चालान एवं पेमण्ट हिस्ट्री संलग् है। (संलग्मक-2 एवं 03)
s.	Additional amount of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the hon'ble Supreme court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the user agency. The User agency shall Furnish an undertaking to this Effect.	शर्त कंद्रक:-5 के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न का प्रेपित है। (संलग्नक:-5)
6.	User agency shall restrict the felling of tress to03 tress/minimum number in the diverted forest land and the trees be felled inder the strict supervision of the State Forest Department and the Cost of Felling of tress Shall be deposit by the User agency with the State Forest Department.	शर्त संख्या–६ के अनुपालन में वयनसङ्कता प्रमाण–पत्र संलग्न का प्रेपित है। (संलग्नक–६)

3	744 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 -	
7.	Separator Island has to be maintained as Green Belt, in Consulation with DFO. Green Belt Plan on Separator island shall be approved by DFO, ensuring appropriate site specific Species. Green belt plan shall also include species to be Planted on the Periphery of retail outlets and Service road, if applicable.	शर्त संख्या-7 के अनुपालन में व्यानबद्धता प्रमाण-वेह संलग्न का प्रेषित हैं। (संलग्नक-7)
8.	Entire Periphery of the establishment Should be lined up with tree Plantation at a close Spacing of 1.0 to 1.5 meter keeping an offset of 1.5 meter from the boundary, with light crown trees which will maintain greenery without Compromising with the land requirement of the establishment.	शर्त संख्या—8 के अनुपालन में वधनबद्धता प्रमाण—पत्र संख्यन का प्रेपित है। (शंलग्गक—8)
9.	The Complete Compliance of the F.R.A 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District collector.	शर्त सच्या–९ के अनुपालन में वतन्यद्वता प्रमाण–पद संसम्म का प्रेपित हैं। (संसम्बद्धन)
10	No Violation of FCA Certificate from Concerned DFO Shall be Provided.	शतं संख्या–१८ के अनुवालन १ दत्तनबद्धता प्रमाण-प संलग्न का प्रेवित हैं। (संलग्नक–10)
11.	Greenery Will be maintained by user agency around Periphery of Petrol Pump.	शर्त संख्या—11 के अनुपालन में वयनबद्धता प्रमाण—प संसम्ब का प्रेषित है। (संसम्बन्ध—11)
12,	User Agency shall use the land between entry and exist of Petrol Pump(156.00 m2) for plantation and conservation of trees, the same shall be demarcated by 2 feet wall.	शर्त संख्या—12 के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण-प संलग्न का प्रेषित हैं। (संलग्नक—12)
13.	Plantation shall also be done along the inside boundary of Fuel Station.	शर्त संख्या—13 के अनुपालन में वहनवद्धता प्रमाण—प सलग्न का प्रेषित है। (संलग्नक—13)
14.	Certificate of DFO certifying that the Proposed RO is not in Close Proximity of any existing RO in accordance with MORTH guidelines dated 24-07-2013 has to be provided.	शर्त संस्था-14 के अनुपालन ने वधनबद्धला प्रमाण-व संलग्न का प्रेषित है। (संलग्नक-14)
15.	The Boundary of the diverted forest land shall be Suitably demarcated on ground at the Project Cost, as per the direction of the Concerned Divisional Forest Officer.	शर्त संख्या—15 के अनुपालन में वचनवद्धला प्रमाण—प संलग्न का प्रेपित है। (संलग्नक—15)
16.	Period of diversion under this Approval shall be Co-terminous with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	राते संख्या—16 के अनुपालन ने वयनवद्धता प्रमाण—प संतरन का प्रेषित है। (संतरनक—16)
17.	The KML File of the Area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC Work, the Proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch Portal with all requisite details before Commencecement of Works.	शर्त संख्या—17 के अनुपालन में यवनश्रद्धल प्रमाण—प संलग्न का प्रेपित है। (संलग्नक—17)
18.	Any other condition that the Ministry of Environment Forests& Climate Change may Stipulate from time to time in the interest of conservation, Protection and development of forests & Wildlife.	शर्त संख्या—18 के अनुपालन में ययनबद्धता प्रमाण—प सलग्न का प्रेषित है। (संक्षानक—18)
19.	All the funds received from the user agency under the Project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-Portal. (https://parivesh.nic.in)	शतं संख्या—19 के अनुपालन ने संगरत धनसाक्षे की Forest Clearence Portal द्वारा निर्मत सालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA] IFSC UBIN0996335] A/C NO- 1509070155172188 ने जमा कर दिया गया है। जिसकी धालान एवं पेमेण्ट हिस्ट्री संलग्न है। (संलग्नक—2 एवं 03)
20.	The Compliance report shall be Uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	रातं संख्या—20 के अनुपालन में Compliance Reports आपके द्वारा प्रतिहस्तक्षिति किये जाने पर https://Parivesh-nic-in के e-Portal पर अपलोड कर वी जायेगी:

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(कृष्ण कुमार सिंह)

मुख्य वन संरक्षक
कानपुर मण्डल, कानपुर

पत्रांक—	1	तददिनांकित	
8 - 11 4:	,	માત્ર ભાર ભાર (કરવ) કરે ર	ŧ

प्रतिलिपि— प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग फर्रूखाबाद को उनके पत्रांकं 516/14-1 दिनांक 14.09.2023 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—मुख्य क्षेत्रीय िन्दुस्तान पेट्रोलियन कारपोरेशन लिमिटेंड 85/4 इस्पात भवन, तृतीय तल, संजय प्लेस आगरा को इस आशय के साथ प्रेपित कि भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की विन्दुवार अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।

> (कृष्ण कुमार सिंह) मुख्य वन संरक्षक कानपुर मण्डल, कानपुर

, 7.	Separator Island has to be maintained as Green Belt, in Consulation	शर्त लख्या-7 के अनुपालन न वचनवद्धता प्रनाण-पञ
Í	with DFO. Green Belt Plan on Separator island shall be approved by	रांलग्न का प्रेषित हैं। (संसम्बक-7)
	DFO, ensuring appropriate site specific Species. Green belt plan shall	
	also include species to be Planted on the Periphery of retail outlets and Service road, if applicable.	
8.	Entire Periphery of the establishment Should be lined up with tree Plantation at	
ο.	a close Spacing of 1.0 to 1.5 meter keeping an offset of 1.5 meter from the	शतं संख्या–8 कं अनुपालनं में वधनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न का प्रेयित हैं। (संलग्नक–8)
į	boundary, with light crown trees which will maintain greenery without	(13.1 a) 8140 21 (40.14-8)
	Compromising with the land requirement of the establishment.	
9,	The Complete Compliance of the F.R.A 2006 shall be ensured by way	शर्त सर्या-9 के अनुपालन ने वचनवद्धता प्रमाण-पत
Ĺ	of prescribed certificate from the concerned District collector.	संलग्न का प्रेषित हैं। (संलग्नक-9)
10	No Violation of FCA Certificate from Concerned DFO Shall be	शर्त संख्या-10 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-प
	Provided.	संलग्न का प्रेषित है। (संलग्नक-10)
11.	Greenery Will be maintained by user agency around Periphery of Petrol	शत संख्या-11 के अनुपालन ने वचनवद्धला प्रमाण-प
	Pump.	शंलग्न का प्रेपित है। (संलग्नक-11)
12.	User Agency shall use the land between entry and exist of Petrol	शर्त संख्या–12 के अनुपालन में यचनयद्धता प्रमाण–प
	Pump(156.00 m2) for plantation and conservation of trees, the same	संलग्न का प्रेपित है। (संलग्नक-12)
	shall be demarcated by 2 feet wall.	ALA BEAT
13.	Plantation shall also be done along the inside boundary of Fuel Station.	रातं संख्या- 13 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रभाण-प
		संलग्न का प्रेषित है। (संलग्नक-13)
14.	Certificate of DFO certifying that the Proposed RO is not in Close	रातं संख्या-14 के अनुभालन में वधनेबद्धता प्रमाण-प
	Proximity of any existing RO in accordance with MORTH guidelines	र्तलम्न का प्रेमित है। (संलग्नक—14)
ļ	dated 24-07-2013 has to be provided.	
15.	The Boundary of the diverted forest land shall be Suitably demarcated	शत संख्या-15 के अनुपालन से वचनवद्धरा प्रमाण-प
1	on ground at the Project Cost, as per the direction of the Concerned	संलग्न का प्रेपित है। (संलग्नक-15)
	Divisional Forest Officer,	
15.	Period of diversion under this Approval shall be Co-terminous with the	शर्त संख्या-16 के अनुपालन में यचनबद्धता प्रमाण-प
	period of lease to be granted in favour of the user agency or the project	सलग्न का प्रेषित है। (संलग्नक-16)
	life, whichever is less.	
17.	The KML File of the Area to be diverted, the CA areas, the proposed	शर्त संख्या-17 के अनुवासन में तचनवद्धता प्रमाण-प
	SMC Work, the Proposed Catchment Area Treatment area and the	ललग्न का प्रेवित है। (संलग्नक-17)
	WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch Portal with all	
18.	requisite details before Commencement of Works.	
LÖ.	Any other condition that the Ministry of Environment Forests&	शतं संख्या–18 के अनुवालन में वचनबद्धता प्रमाण–प संक्षमन का प्रेषित हैं। (संलग्नक–18)
The state of the s	Climate Change may Stipulate from time to time in the interest of	वलना वय भावत है। (बलन्नक-18)
19.	conservation, Protection and development of forests & Wildlife.	TO THE STATE OF TH
ıJ.	All the funds received from the user agency under the Project shall be	शर्त संख्या—19 के अमुपालन ने समस्त घनराशि का Forest Clearence Portal द्वारा निर्मत चालान क
	transferred deposited to CAMPA fund only through e-Portal. (https://parivesh.nic.in)	नार्यम से UTTAR PRADESH CAMPAJIFSC
	(mtps://partvesit.mc.m)	UBIN0996335] A/C NO- 1509070155172188 मे
		जमा कर दिया गया है। जिसकी
		चालान एवं पेमेण्ट हिस्ट्री संलग्न है। (संलग्नक-2 एव
		03)
20.	The Compliance report shall be Uploaded on	शर्त संख्या–20 के अनुपालन में Compliance
	e-portal (https://parivesh.nic.in)	Reports आपके द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वर
		https://Parivesh-nic-in ਲ e-Portal ਧਵ
		अपलोड कर दी जायेगी।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय (कृष्ण कुमार सिंह) मुख्य वन संरक्षक

कानपुर मण्डल, कानपुर

<u> पत्रांक-747 तददिनांकित।</u>

प्रतिलिपि— प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग फर्रुखाबाद को उनके पत्रांक

516/14—1 दिनांक 14.09.2023 के इस में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि—मुख्य क्षेत्रीय हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड 85/4 इस्पात भवन, तृतीय तल, संजय प्लेस आगरा को इस अशय के साथ प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन् आख्या परिवेश पंर्टल पर तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।

> (कृष्ण कुमार सिंह) मुख्य वन संरक्षक कानपुर मण्डल, कानपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग फर्रूखाबाद

/ 14–1 ,दिनांकः फर्रुखाबाद ,सितम्बर $J^{L_{J}}$ 2023 पत्रांक 5/6

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक कानपुर मण्डल

कानपुर

विषय-

जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत बीसलपुर-बेवर मार्ग (एन०एच०-730सी) Old SH-29A के किगी० नम्बर-571.00 चैनेज 570.349 बांधी पटरी पर ग्राम-मदनपुर खसरा संख्या-2629 तहसील-सदर, जिला-फर्रुखाबाद हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोशन लिं0 आगरा द्वारा प्रस्तावित नये पेट्रोल पग्प के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.1690612 है0 संरक्षित वन भूमि के गेर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 03 वृक्षों के पातन/द्रासप्लार्टे की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

संदर्भ-

भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (गध्य), लखनऊ का पत्रांक-8बी/यू.पी./06/64/2023/एफ०सी०/239 दिनांक 27.07.2023, मुख्य वन ररिक्षक/ नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनक का पत्रांक-11सी-2711/FP/UP/Approach/155172/2022 दिनांक 31.07.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के पूर्णतः अनुपालन की स्थिति प्राप्त किये जाने हेतु प्रमाण-पत्र संस्तुति सहित चार प्रतियों में आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आत्राष्ट्रक कार्यवाही हेत प्रेषित है-

~ B1	आवश्यक कायवाही हतु प्राप्त ह— Condition	Compliance
S.N. 1.	The Legal Status of the Forest land Shall remain unchanged.	शर्त संख्या-1 के अनुपालन में वचनवद्धता प्रनाण-पत्र संलग्न का पेपित है। (संलग्नकं-1)
2.	Compe Compensatory afforestation shall be taken up by the forest Department for Plantation of 338 trees in (sakwai Forest block farrukhabad range, Disrict-Farrukhabad Block at the cost of the user Agency. As far as practicable a Mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of Species has be avoided, of as as practicable a Mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of Species has to be avoided.	शर्त संख्या—2 के अनुपालन में क्षांतिपूरक वृक्षासंपण एवं 10 वर्ष के रखरखाय हेतु रूठ1,49,650/— की धनराशि को Forest Clearence Portal द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA] IFSCUBIN0996335] A/C NO- 1509070155172188 जना कर दिया गया है। जिसकी चालान एवं पेमेण्ट हिस्ट्री सलग्न है। (सलग्नक-02 एवं 03)
3.	The cost of compensatory afforestation at the Prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of Survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the forest department by the project authority. The CA will be maintained for 10 yrs. The Scheme may include appropriate Provision for anticipated cost increase for works Scheduled for Subsequent Years.	रातं सख्या-3 के अनुपालन में क्षितपूरक वृक्षासंपण एवं 10 वर्ष के रखरखाव हेतु रुठ1,49,650/ - की धनशिश को Forest Clearence Portal द्वारा निर्गत चालान के माध्यम सं UTTAR PRADESH CAMPA] IFSC UBIN0996335] A/C NO- 1509070155172188 में जमा कर दिया गया है। जिसकी चालान एवं पेमेण्ट हिस्ट्री संलग्न है। (संलग्नक-2 एवं 03)
4.	The State Government shall Charge the net Present Value for the 0.1690612 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA NO. 566 in WPO No. 202/1995 and as per the guideline issued by the ministry vide letters no. 5-1/1998-FC (Pt.11) dated 18/09/2003, as well as letter 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard. Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06.01.2022 and 19.01.2022 shall be deposited by user in this regard.	शर्त राख्या—4 के अनुपालन में प्रमाधित वन भूमि 0.1690612 हैं० की एन०पी०वी० रूठ 1,61,924/—की धनराशि को Forest& Clearence Portal द्वारा निर्मत चालान के मान्यम रो UTTAR PRADESH CAMPAI IFSC UBIN0996335] A/C NO- 1509070155172188 में जमा कर दिया गया है। जिसकी चालान एवं पंनेण्ट हिस्ट्री सलन्न है। (संलग्नक—2 एवं 03)
5.	Additional amount of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the hon'ble Supreme court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the user agency. The User agency shall Furnish an undertaking to this Effect.	शर्ल संख्यां – 5 के अनुपालन में वधनबद्धता प्रमाण - पन्न संलग्न का प्रेषिर है। (संलग्नक 5)
6,	User agency shall restrict the felling of tress to03 tress/minimum number in the diverted forest land and the trees be felled inder the strict supervision of the State Forest Department and the Cost of Felling of tress Shall be deposit by the User agency with the State Forest Department.	शतं संख्या-६ कं अनुपालन में वचनवद्धता प्रभाण-पत्र संलग्न का प्रेपि है। (संलग्नक-६)
7.	Separator Island has to be maintained as Green Belt, in Consulation with DFO. Green Belt Plan on Separator island shall be approved by DFO, ensuring appropriate site specific Species. Green belt plan shall also include species to be Planted on the Periphery of retail outlets and Service road. if applicable.	ह। (सलग्नक-7)